न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.15(1)आरपीएमएफ/2016/पार्ट–II/ 10210 दिनांक 31 MAR 2017

तकनीकी निदेशक,
एन.आई.सी.,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
जयपुर।

विषयः– दिनांक 06.02.2017 को मुख्यमंत्री कार्यालय में IPFMS पोर्टल पर सुविधाऐं बढ़ाने के सम्बन्ध में हुई बैठक की कार्यवाही विवरण।

संदर्भः– आपका पत्रांक 6172 दिनांक 21.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में ऑन लाईन आवेदन करने सम्बन्धी सुविधाओं को पेंशनर्स को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपलोड़ किये जाने की व्यवस्था करावें।

भवदीया

अति. निदेशक एवं अति. सचिव
आरपीएमएफ जयपुर (राजस्थान)

न्यासी बोर्ड

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्र.स	प्रस्तावित कार्य विवरण	आर.पी.एम.एफ द्वारा कार्य विवरण
1	पेंशनर डायरी में वार्षिक स्वीकृत राशि समाप्त होने पर राशि बढ़वाने हेतु IFPMS पोर्टल पर ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाए। वर्तमान में ई–मित्र पर जो सेवा उपलब्ध करवाई गई थी, उसके लिए पेंशन अथवा ट्रेजरी के लिए कोई बेक–एण्ड पर प्रोसेसिंग सर्विस न होने से उसका उपयोग न हो पाया। अतः यह शीघ्र प्रशासनिक विभाग के स्तर पर भी देखा जाना आवश्यक होगा।	सिविल पेंशन पोर्टल पर वित्तीय सीमा वृद्धि सेवाओं को ऑन–लाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। पेंशनर्स द्वारा वित्तीय सीमा वृद्धि के लिए अपलोडेड दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:– 1. मेडिकल डायरी का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की प्रति। (अनिवार्य) 2. डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित अनुशंषा पत्र। (अनिवार्य) 3. गत माह की दवाईयों का बिल। (अनिवार्य) 4. डिस्चार्ज टिकिट। (इनडोर पेंशनर्स हेतु अनिवार्य रूप से लागू) 5. एन.ए.सी. बिलों के विरूद्ध वित्तिय सीमा वृद्धि कराने पर एन.ए.सी. बिलों की प्रति।
2	प्रथम बार जारी पेंशनर डायरी के पश्चात् नवीन डायरी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की सुविधा ऑनलाईन प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए।	पेंशनर्स को दूसरी प्रिन्टेड मेडिकल डायरी हेतु ऑन–लाइन आवेदन करने के मॉड्यूल करने का निर्माण कर लिया गया है। ऑन–लाइन आवेदन के समय पेंशनर्स निम्न दस्तावेजों स्केन /मोबाईल फोटो को ऑन–लाइन अपलोड करेगा:– 1. मेडिकल डायरी का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की प्रति। (अनिवार्य) 2. मेनुअल जीवन प्रमाण पत्र (अनिवार्य) ऑन–लाइन जीवन प्रमाण पत्र होने की अवस्था में मेनुअल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जायेगा।(अनिवार्य)
3	प्रथम बार के पश्चात् जारी की जाने वाली नवीन डायरी की प्रिन्टिंग कर जारी करने का अधिकार उपकोषाधिकारी को दिया जावे।	प्रथम बार के पश्चात जारी की जाने वाली नवीन डायरी की प्रिन्टिंग कर जारी करने का अधिकार उपकोषाधिकारी को दिये जाने जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या एफ.1(2)एफ. डी/नियम/2014 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं।
4	पेंशनर को जो नई डायरी दी जाती है, उसमें फोटो के भी प्रिन्ट होने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए।	पेंशनर्स को नई डायरी आवंटन के दौरान ऑन–लाइन फोटो को मेडिकल डायरी पर प्रिन्ट करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
5	पेंशनर की डायरी पर जिन औषधियों का इन्द्राज कॉनफैड द्वारा किया जाता है, उसको सहकारिता विभाग के द्वारा ऑनलाईन करते हुए पेंशन विभाग को उसकी क्लेम प्रोसेसिंग हेतु वैब सुविधा उपलब्ध कराई जाए।	यह कार्य कानफेड के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। कॉनफैड के मेडिकल बिजनेस एवं सहकारी भण्डारों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर के माध्यम से ई–औषधि कस्टमटाईज किये जाने हेतु तथा पेंशन विभाग द्वारा भुगतान प्रक्रिया एवं कॉनफैड द्वारा बिलों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया बाबत् सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु कॉनफैड एवं सूचना

		प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर के मध्य कार्यवाही चल रही है। इस हेतु प्रबन्ध संचालक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर ने अपने पत्रांक 4067 दिनांक 26.12.2016 से प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर को वांछित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु लिखा हैं। (प्रति सलंग्न)
6	निजी मान्य चिकित्सालयों के क्लेम भी ऑनलाईन किये जाने चाहिए, इस हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा औषधियों के इन्द्राज की जो ऑनलाईन करने की सुविधा विकसित की जा रही है, उसमें एक पब्लिक इन्टरफेस भी दे दिया जाए ताकि निजी चिकित्सालयों से पेंशन विभाग उसी सुविधा से जुड़ सके।	यह कार्य उपरोक्तानुसार कानफेड के द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।
7	3 लाख से अधिक पेंशनर्स में से 8 हजार से भी कम पेंशनर्स के मोबाइल नं. डाटाबेस में उपलब्ध है, जिससे उन्हें समय पर आवश्यक सूचना को एस.एम.एस से भेजा जाना संभव नही हो पाता। इस हेतु पोर्टल पर मोबाईल नं. की एन्ट्री हेतु सर्विस सृजित की जाए।	पेंशन विभाग द्वारा सभी अधिकृत बैंको मे उपलब्ध पेंशनर्स के मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जा चुके है। एस.बी.आई एवं एस.बी.बी.जे बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गये 1,92,431 मोबाइल नम्बर को पेंशन पोर्टल पर आदिनांक कर दिया गया है। शेष पेंशनर के मोबाइल नम्बर बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर इन मोबाइल नम्बरों को पेंशनर्स पोर्टल के डेटा बेस में सीधे ही आदिनांक कर दिया जायेगा।
8	IFPMS पोर्टल पर अभी सूचनाएँ, सुविधाएँ और सेवाएं कम ही डाली गयी है, इसमें पोर्टल को और सूचनात्मक बनाते हुए ऑनलाईन सेवाएं सृजित की जानी चाहिए।	IFPMS पोर्टल के होम पेज एवं डेश बोर्ड सेवाओं की पहचान कर सम्बन्धित मोड्यूल का NIC द्वारा निमार्ण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कार्य को 30 अप्रैल 2017 तक पूरा कर लिया जावेगा।
9	IFPMS पोर्टल पर नवीन एंट्री को IFMS/IHRMS पोर्टल से लिंक किया जाए, जिससे IFPMS पोर्टल में पृथक से एन्ट्री की आवश्यकता नही रहेगी। इससे कार्मिक की सेवा सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं भी उसमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी।	IFPMS पोर्टल एवं IHRMS पोर्टल को जोडने वाली आनलाइन बेब सर्विस का निर्माण कर लिया गया है। अतः इस बेबसर्विस के माध्यम से IHRMS पोर्टल पर पेंशन विभाग के आडिटर द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकार करने पर ऑनलाइन पेंशन प्रकरण प्राप्त कर निस्तारण करने की कार्यवाही पेंशन विभाग द्वारा की जा सकती है।
10	इनडोर पेसैन्ट के बिलों के पुनर्भरण की ऑनलाइन जानकारी हेतु प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाये।	इनडोर पेसैन्ट के रूप में भर्ती पेंशनर्स के द्वारा बिलों के पुनर्भगतान की ऑनलाइन जानकारी की सुविधा प्रदान कर दी गई है। पेंशनर्स के बिलों की ऑनलाइन जानकारी हेतु निम्न सूचनाएं ऑनलाइन भरी जायेंगी :– 1. डिस्चार्ज टिकिट नम्बर एवं भर्ती दिनांक 2. पेंशनर्स द्वारा की गई कुल व्यय राशि 3. हॉस्पिटल का नाम

Pramod Kumar
22/5/2017